216

20रु. COURT FEE Rs.20
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. / 2015 पुनरीक्षण निगरानी 814-III-15

1. श्रीमती लोलरिया बेवा पत्नी श्री कालीचरण बानी
2. रामकृष्ण पिता स्व. श्री कालीचरण बानी
3. हरीदास पिता स्व. श्री कालीचरण बानी
4. शिवदास पिता स्व. श्री कालीचरण बानी
5. रामभूषणदास पिता स्व. श्री कालीचरण बानी

समस्त निवासीगण ग्राम खटखरी, तह. हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

.... आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव - एडवोकेट द्वारा आज दि. 17-4-15 को प्रस्तुत

Agupta 17-4-15
फीस क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. श्रीमती ललौसरी देवी विधवा पत्नी श्री रसीले बानी
2. रामचन्द्र पिता श्री रसीले बानी
3. कृष्णचन्द्र पिता श्री रसीले बानी
4. हरीशचन्द्र पिता श्री रसीले बानी
5. कैलाशचन्द्र पिता श्री रसीले बानी
6. प्रकाशचन्द्र पिता श्री रसीले बानी
7. श्रीमती तारा देवी विधवा श्री रामकरण बानी
8. प्रधुमन पिता श्री रामकरण बानी
9. प्रमोद पिता श्री रामकरण बानी
10. प्रहलाद पिता श्री रामकरण बानी
11. प्रदीप पिता श्री रामकरण बानी
12. पारसराम पिता श्री लालमणि बानी
13. श्रीमती सोनिया पुत्री स्व. श्री कालीचरण बानी

समस्त निवासीगण ग्राम खटखरी तह. हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

WS
मुकेश भार्गव
17-4-15 एडवोकेट
ग्वालियर

3

न्यायालय तहसीलदार हनुमना जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 20/ए-6/14-15 में पारित आदेश दिनांक 20.3.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

संक्षिप्त तथ्य -

1- यह कि, वादग्रस्त भूमि ख.नं. 3116 रकवा 0.16 ए, 3117/ 0.12ए, 3119/ 0.39 ए, 3120/0.21ए, 3123/0.09ए, 3224/0.09ए. 3125/ 0.43ए, 3375/0.17ए, 3376/0.03ए, 3377/ 0.03ए, 3299/0.10ए, एवं 3300/ 2.33ए भूमि मौजा खटखरी तहसील हनुमना (पूर्व तह. मऊगंज) जिला रीवा में स्थित है। वादग्रस्त भूमिया आवेदकगण के पूर्वज बाबा लालमणि के पटटे कब्जे की भूमियां थी। आवेदकगण के बाबा लालमणि का देहान्त हो जाने के बाद वादग्रस्त भूमियां आवेदकगण के पिता कालीचरण व उनके अन्य भाई रसीले, रामकचरण बानी एवं पारसराम बानी के नाम नामांतरण पंजी कं. 77 आदेश दिनांक 10.9.75 को राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी तत्कालीन तहसील मऊगंज वर्तमान तहसील हनुमना के द्वारा किया था। आवेदकगण के पिता व उनके भाईयों के माध्य विभाजन होने पर उपरोक्त भूमियां आवेदकगण के पति/ पिता कालीचरण के हक में राजस्व प्रकरण कमांक 53/अ-27/ 89-90 आदेश दिनांक 15.10.90 के द्वारा नायब तहसीलदार सर्किल खटखरी तत्कालीन तहसील मऊगंज वर्तमान तहसील हनुमना के द्वारा आदेश पारित किया गया था। जिसकी अपील/ निगरानी वरिष्ठ न्यायालय में नहीं हुई थी। नायब तहसीलदार खटखरी का आदेश दिनांक 15.10.90 कायम रहा।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—814—तीन/2015 जिला— रीवा

श्रीमती लोलरिया आदि विरूद्ध श्रीमती ललौसरी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18—02—2019	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार हनुमना जिला—रीवा के प्रकरण क्रमांक 20/ए—6/2014—2015 में पारित आदेश दिनांक 20—03—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18—4—2019 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	